कार्यालय परिपत्र सं0 - 2021036

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

पत्रांक–**एस0एस0–पंजीयन अभियान/2020–21/** 721 **/वाणिज्य कर**

कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 7 जनवरी, 2021

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/ वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर एवं
कर निर्धारण/प्रवर्तन अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पंजीयन जागरूकता अभियान विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 व्यापारी पंजीयन/ज्वाइन्ट कमिश्नर जीएसटी/2019–20/**732** /वाणिज्य कर दि0 22.11.2019, पत्र सं0 एडी0कमि0 कैम्प /**633**/दि0 25.11.2019 पत्र सं0 830 दि0 10.01.2020, पत्रसं0 कमिश्नरकैम्प/2019–20/**221**/ वाणिज्य कर दिनांक 25.01.2020 व पत्र सं0–एस0एस0– पंजीयन अभियान/2019–20/**885**/ वाणिज्य कर दि0 06.02.2020, पत्रसं0 एस0एस0–/**941**/दि0 18.02.2020 एवं पत्र सं0 जीएसटी /**946**/दिनांक 20.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इस अभियान के संदर्भ में विस्तृत एवं समय समय पर सामयिक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। **कोविड–19** के कारण 22 मार्च, 2020 से आयोजित सभी प्रकार के कैम्प/गोष्ठियां व सर्वेक्षण अभियान स्थगित कर दिये गये। **सोशल डिस्टेन्सिंग** के साथ इस अभियान के विभिन्न कार्यों को पुनः प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है।

2– **मा0 मुख्यमंत्री जी** द्वारा दिनांक 24.12.2020 की समीक्षा बैठक में पुनः प्रदेश के समस्त व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराए जाने और जीएसटी के अन्तर्गत प्रदेश में 25 लाख पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 के मा0 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किये जाने की भी अपेक्षा की गयी है।

3– निर्देशित किया जाता है कि **पंजीयन जागरूकता अभियान** को पुनः संचालित किया जाए। प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण योग्य/इच्छुक व्यापारियों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। नए पंजीयन एवं रिटर्न दाखिला की सुविधा हेतु प्रत्येक जनपद/मण्डल कार्यालय में **हेल्प डेस्क** को संचालित किया जाए। हेल्प डेस्क पर पंजीयन/रिटर्न से पूर्णतयः भिज्ञ अधिकारियों को ही तैनात किया जाए। अभियान अवधि में हेल्प डेस्क का प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि व्यापारी इस सुविधा का लाभ ले सकें। हेल्प डेस्क पर आगंतुक सभी व्यापारियों का विवरण रजिस्टर में अंकित कर सुरक्षित रखा जाए।

4– **पंजीयन कैम्प/गोष्ठियों/सेमिनार** का पुनः आयोजन किया जाए, जिसमें व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन से लाभ और निःशुल्क रू0 10 लाख की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से अवगत कराया जाए। मा0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों को पंजीयन कैम्प गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाए और अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराने में सहयोग प्राप्त करके पंजीकरण योग्य/इच्छुक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए।

पंजीयन गणना/सर्वे में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान **अवशेष** रह गए है उन्हें प्रत्येक दशा में **संतृप्त/पूर्ण** करा लिया जाए। नियमित रूप से प्रतिदिन की सूचना इस हेतु विभागीय पोर्टल पर नियत किये गये प्रारूप में शुद्ध एवं पूर्ण रूप से फीड करायी जाए।

संलग्न–संदर्भित पत्रों की प्रति।

भवदीय

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।